

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/50603/FTP/FATEHPUR/323/CFO

दिनांक : 11-05-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SETH M R JAIPURIA SCHOOL** पता **VILL - ITRAURA, PILKHINI, MALWAN - FATEHPUR** तहसील - **BINDKI** प्लॉट एरिया **9451.37 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5239.82** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	4	0	15.24 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SETH M R JAIPURIA SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **17-05-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ROHIT SINGH, Mob- 7007922784** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-05-2022** से **16-05-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SETH M R JAIPURIA SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SETH M R JAIPURIA SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : प्रश्रुत निर्मित शैक्षणिक भवन को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-187/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016टी0सी0 लखनऊ: दिनांक- 07-01-2022 के अनुपालन में सेटबैक- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सुझाव के अनुसार सेटबैक की अनिवार्यता तथा तदनुसार उपलब्धता के सम्बंध में निर्णय संबन्धित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा। अतएव सेटबैक का निर्धारण सत्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। साथ ही लो राइज़ भवनों की अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गमन में ढांचागत एवं अग्नि व्यवस्थाओं के सम्बंध में संसोधन शिथिलीकरण के अनुसार विद्यमान भवन में न्यूनतम अग्निशमन व्यवस्थाएं अधिष्ठापित करा ली गयी हैं।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **17-05-2022**
स्थान : **FATEHPUR**



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

UMESH GAUTAM

871D7DDE6E3590423CD095700ADCE8A6776FFECB

17-05-2022

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.